राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांकः–एफ 9/सहायता(178)बाढ/रेस्टोरे न/2025/4974 दिनांकः– 11/12/2025

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष–2024 के दौरान बारां जिले में हुई अतिवृष्टि/बाढ/जलप्लावन के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों के तत्काल रेस्टोरेशन हेतु संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ8(31)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/Rajkaj Ref 19178345 जयपुर दिनांक 04.12.2025 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 208/2025–26 के अनुसार बजट मद 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02–बाढ, चक्रवात आदि, 107– खराब सरकारी कार्यालय भवनो की मरम्मत तथा पुनस्थापना, 02–बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत 01–बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत 21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)के अन्तर्गत निम्नांकित क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों के मरम्मत कार्यो की जिला स्तरीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां नोडल अधिकारी रहेंगे जो अपने अधीन कार्यकारी ऐजेन्सी के माध्यम से स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्यो की तकनीकी स्वीकृति अविलम्ब जारी कर भिजवाऐ।

चिकित्सा भवनों के मरम्मत कार्यो का सारांश–

क्र. सं0	कार्यकारी विभाग/संस्था	ब्लॉक	स्वीकृत कार्यो की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक	बारां	01	02.00
		अन्ता	08	16.00
		अटरू	06	12.00
		छबडा	02	04.00
		मांगरोल	04	08.00
		कि नगंज	07	14.00
योग			**28**	**56.00**

कार्यकारी विभाग– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बारां

1–चिकित्सा भवन के मरम्मत कार्य (ब्लॉक बारां)			
क्र. सं.	क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का विवरण	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का विवरण	प्र ासनिक स्वीकृति लाखों में
1	पीएससी माथना	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
योग			**2.00**
2–चिकित्सा भवन के मरम्मत कार्य (ब्लॉक अन्ता)			
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बालदडा	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़गांव	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पलायथा	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खजूरना कंला	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00

RajKaj Ref No.: 19311064
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.12.10 1?:00:05 IST
Reason: Approved

5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़वा	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बमूलिया कंला	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचेलकला	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बमूलिया माताजी	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
	योग		**16.00**
3–चिकित्सा भवन के मरम्मत कार्य (ब्लॉक अटरू)			
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कवाई	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुन्जेड	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आटोन	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोठपुर	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूण्डला बिसोती	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरडाना	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
	योग		**12.00**
4–चिकित्सा भवन के मरम्मत कार्य (ब्लॉक छबडा)			
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छबडा	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटडी	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
	योग		**04.00**
5–चिकित्सा भवन के मरम्मत कार्य (ब्लॉक मांगरोल)			
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बमोरीकला	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटवाडा	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायथल	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मालबमोरी	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
	योग		**08.00**
6–चिकित्सा भवन के मरम्मत कार्य (ब्लॉक कि नगंज)			
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बजरंगगढ	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जलवाडा	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरडा	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवरगंढ	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परानिया	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डेला	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कि नगंज	छत, दीवार, खिडकी, दरवाजा मरम्मत,कार्य	2.00
	योग		**14.00**
	महायोग		**60.00**

उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन जारी की गई है, जिनकी पूर्ण पालना की जावे :–

1. कार्यकारी एजेन्सी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बारां (छभ्ड) होगी। निर्माण कार्यों का निष्पादन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सार्वजनिक निर्माण विभाग वित्तीय एवं लेखा नियमों, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
2. इस स्वीकृति के तहत प्रारम्भ कार्य वित्तीय वर्ष 2025–26 के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जावे। उसके बाद भी कोई कार्य अधूरा रहता है तो उसे विभागीय बजट मद से ही पूर्ण करना होगा तथा भुगतान का दायित्व भी संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी का होगा।
3. सभी स्वीकृत कार्य वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.12.10 1[illegible]:00:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19311064
eSign 1.0

4. सम्पादित कार्यों की एवज में देय राशि हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य को वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूर्ण किया जाकर कार्यवार व्यय राशि का पूर्ण विवरण, कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् का फोटोग्राफ (कॉडिनेट्स), कार्य पूर्णता उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं माप पुस्तिकाओं में दर्ज मूल्यांकन की छाया प्रतियों के साथ बिल 30 जनवरी, 2025 तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. डिफेक्ट लाईबिलिटि अनुबन्ध में जो क्षति अनुबन्ध के अनुसार संवेदक के व्यय पर मरम्मत योग्य है उन कार्यों पर मरम्मत का व्यय इस स्वीकृति एवं राशि के अधीन नहीं करवाया जावें।
6. उक्त स्वीकृत कार्यों को करवाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जावें कि मानसून के दौरान बरसात आने के कारण किया जा रहा व्यय निरर्थक न हो जावे।
7. यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित चिकित्सा भवनों का उपयोग जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
8. कार्यकारी संस्था के पास संधारण एवं मरम्मत मद से उपलब्ध विभागीय राशि के उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त ही इस मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।
9. *कार्यो का निष्पादन वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही किया जावेगा।*
10. *एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के नोर्म्स एवं विभागीय दिशानिर्देशों की पालना की जाना आवश्यक* होगा। सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के निर्देशों की पूर्ण पालना आवश्यक होगी।
11. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग,जयपुर के जारी दिशा निर्देश एफ.8(1)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/2025 राजकाज 16877134 दिनांक 30.07.2025 एवं तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
12. "कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है" इस आशय की उपखण्ड स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

क्रमांकः–एफ 9/सहायता(178)बाढ/रेस्टोरेशन/2025/4975-82 **दिनांकः– 11/12/2025**

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, समस्त जिला बारां।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को भेजकर निर्दे । है कि उक्त स्वीकृत कार्यो की नियमानुसार अविलम्ब तकनीकी स्वीकृति जारी कर, इस कार्यालय को भिजवायें।
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला बारां
6. अधिशाषी अभियन्ता, छबडा जिला बारां
7. कोषाधिकारी, बारां।
8. प्रभारी अधिकारी, लेखा/के । अनुभाग, जिला कलक्टर, बारां।

जिला कलक्टर,
बारां

RajKaj Ref No.:
19311064
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.12.10 1?:00:05 IST
Reason: Approved